

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)**

प्रकरण संख्या :- 40/23

तारीख 31/3/2023

भंवरलाल पुत्र नगजीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

**बनाम**

01. दरबार पुत्र मेताब जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. पप्पु पुत्र मेताब जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. अमरा पुत्र बीरबल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. सोराम पुत्र बीरबल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. लक्ष्मण पुत्र बीरबल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट**

—: आदेश :-

दिनांक: 05-04-23

प्रार्थना पत्र भंवरलाल पुत्र नगजीराम जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 12 पर अंकित आराजी संख्या 541/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि सामलाती पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 12 पर अंकित आराजी संख्या 541/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि सामलाती बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ - भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 40/23

तारीख 05/04/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या .....40...../2023 पत्थरगढ़ी बावत्।

भंवरलाल पुत्र नगजीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. दरबार पुत्र मेताब जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. पप्पु पुत्र मेताब जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियाँ  
जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. अमरा पुत्र बीरबल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. सोराम पुत्र बीरबल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. लक्ष्मण पुत्र बीरबल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोरधनपुरा तहसील  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम  
चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 12 पर  
अंकित आराजी संख्या 541/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि सामलात की बशामलात पडौसीयान  
के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो  
जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित  
करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया  
जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढ़ी करने  
से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सुचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना  
रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा